सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
http://www.dhr.gov.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2016–2017

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
2016–2017

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

http://www.dhr.gov.in

विषय सूची

अध्याय–1	प्रस्तावना	01
अध्याय–2	प्रशासन एवं वित्त	03
अध्याय–3	महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु अनुसंधान प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना	09
अध्याय–4	राजकीय मेडिकल कॉलेजों मे बहुविशयी अनुसंधान इकाइयों (एमआरयू) की स्थापना	19
अध्याय–5	राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों (एमआरएचआरयू) की स्थापना	25
अध्याय–6	अंतर–क्षेत्रीय समन्वय एंव सामन्जस्य और अनुसंधान शासन के मुद्दों को प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन हेतु सहायक अनुदान (गांट्स इन ऐड)	31
अध्याय–7	स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास	33
अध्याय–8	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन	39
अध्याय–9	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी), भोपाल	43
अध्याय–10	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिशद् (आईसीएमआर)	47
अनुलग्नक	बीई/आरई 2016–17 एवं दिसंबर 2016 तक वास्तविक व्यय और बीई 2017–18	50

अध्याय 1 भूमिका

1.1 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) का सृजन 17 सितंबर 2007 को भारत सरकार के (एलोकेशन ऑफ बिजनेस) नियम, 1961 में संशोधन के करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंदर एक पृथक विभाग के रूप में किया गया था। नवंबर 2008 को विभाग के पहले सचिव की नियुक्ति के साथ यह विभाग क्रियाशील बना।

1.2 डीएचआर के उद्देश्य हैं रोगों की रोकथाम के लिए रोग पहचान, उपचार तरीकों और टीकों (वैक्सीन) से जुड़े अनुसंधान तथा नवोन्मेषों के माध्यम से लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना; इन्हें उत्पादों ओर प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना तथा संबंधित संस्थाओं की सहक्रिया में जनस्वास्थ्य प्रणाली में इन नवोन्मेषों का परिचय कराना।

1.3 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के निम्नलिखित 10 कार्य (आईसीएमआर पर प्रशासन करने के सतत् कार्य सहित नौ नए कार्य) नियत किए गए हैं :

1. **आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य, जैवचिकित्सीय एवं चिकित्सा तथा शिक्षा व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में नैदानिक जाँच और क्रियाशील अनुसंधान तथा बुनियादी ढांचे, मानव भाक्ति और अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में कौशल विकास के द्वारा शिक्षा व संबंधित सूचना के प्रबंधन सहित मूलभूत, अनुप्रयुक्त एवं क्लिनिकल अनुसंधान को प्रोत्साहन व समन्वयन।**

2. चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिक मुद्दों सहित अनुसंधान शासन मुद्दों को प्रोत्साहन और उनका मार्गदर्शन।

3. **चिकित्सीय, जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अंतर–कार्यक्षेत्र समन्वयन तथा प्रोत्साहन।**

4. भारत और विदेश में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सहित इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु अध्येतावृत्तियों के अनुदान।

5. भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़े कार्य सहित आयुर्विज्ञान तथा स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

6. महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

7. नए और विजातीय कारकों के कारण होने वाले रोग प्रकोपों का अध्ययन तथा रोगों की रोकथाम के लिए युक्तियों का विकास करना।

8. औषधि एवं स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक समितियों एवं संघों, धर्मार्थ और धार्मिक दान से जुड़े मामले।

9. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन संस्थाओं और संस्थानों के बीच समन्वयन तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य में विशेश अध्ययनों को प्रोत्साहन देना।

10. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का प्रशासन और निगरानी करना।

1.4 अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के दृष्टिकोण से, डीएचआर ने निम्न नई योजनाओं का सूत्रीकरण किया था। ये योजनाएं तत्पश्चात् अनुमोदित की गई हैं और इन्हें वर्ष 2013–14 से लागू किया गया :

1. **महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए शोध प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करना (वीआरडीएल)।**

2. **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बहुविषयी अनुसंधान इकाइयों (एमआरयूएस) की स्थापना।**

3. **राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध इकाइयों (एमआरएचआरयूएस) की स्थापना।**

4. **स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी)।**

5. **अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण हेतु सहायक अनुदान योजना (जीआईए) एवं अनुसंधान शासन मामलों पर प्रोत्साहन ओर मार्गदर्शन।**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, विभाग ने उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। 2016–17 के दौरान दिसंबर 2016 तक की अवधि के लिए 19 नई विषाणु शोध एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) और 4 नई बहु–विषयी शोध इकाइयों (एमआरयू) स्वीकृत किए गए। अभी तक कुल 82 वीआरडीएल (5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, 15 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं एवं 62 चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशालाएं); 70 एमआरयू ओर 12 एमआरएचआरयू अनुमोदित किए गए हैं। यद्यपि 65 वीआरडीएल, 58 एमआरयू और 12 एमआरएचआरयू से संबंधित अनुदान जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य अनुसंधान पर मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत भारत एवं विदेश में प्रशिक्षण हेतु 68 फैलोशिप और 5 संस्थानों को सहायता का अनुमोदन किया गया। दिसंबर 2016 तक सम्मिलित उपलब्धि के रूप में 197 फैलोशिप दर्ज किए गए। दिसंबर 2016 तक जीआईए योजना के अंतर्गत कुल 11 नई शोध परियोजनाओं और 90 जारी शोध परियोजनाओं के अनुदान भी अनुमोदित किए गए। चिकित्सा महाविद्यालयों में लगभग 30 वीआरडीएल, 27 एमआरयू और 8 एमआरएचआरयू ने पहले से ही शोध गतिविधियों को शुरू कर दिया है। **हमारे देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को संचालित करने और जन स्वास्थ्य प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों, नई उपचार विधियों तथा उत्पादों/प्रक्रियाओं के आरंभ के लिए ये योजनाएं एक सशक्त एवं प्रभावशाली वातावरण के निर्माण में व्यापक रूप से सहायता कर रही हैं।**

1.5 सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को 21.11.2016 के दिन लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह अधिनियम केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य व संघ शासित क्षेत्रों में राज्य सरोगेसी बोर्ड तथा उपयुक्त प्राधिकरणों की स्थापना के द्वारा भारत में सरोगेसी को विनियमित करने का प्रयास करता है। सरोगेसी के प्रभावशाली विनियमन को सुनिश्चित करने, व्यावसायिक सरोगेसी को रोकने तथा जरूरतमंद बांझ युगलों में नैतिक सरोगेसी अनुमति देने की विधि निकाय सुनिश्चित करेगा।

मेडिकल टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड (एमटीएबी) की स्थापना :

1.6 देश में उपलब्ध और नई स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की प्रभाविता, उपयुक्तता व लागत प्रभावशीलता के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन के लिए वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में एक मेडिकल टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड (एमटीएबी) की स्थापना की जाएगी। मरीज की देखभाल में लागत एवं भिन्नताओं, मरीजों के 'आउट ऑफ पॉकेट' खर्च को कम करने और आयुर्विज्ञान प्रतिपूर्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के मानक किफायती दिशा–निर्देशों/हस्तक्षेपों के विकास हेतु इसमें एक औपचारिक तथा संस्थागत प्रक्रिया होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च को प्राथमिकता देने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्याप्ति को हासिल करने की दिशा में सहयोग देने की एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में यह अपनी सेवा प्रदान करेगा।

अध्याय 2 प्रशासन एवं वित्त :

2.1 कर्मचारियों के एक छोटे घटक के साथ यह विभाग कार्य कर रहा है। यद्यपि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) से इस विभाग को छह पद स्थानांतरित किए गए थे, और इसके अलावा व्यय विभाग के अनुमोदन पर कालांतर में विभिन्न श्रेणियों में सोलह अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया था। विभाग की स्वीकृति सामर्थ्य और अभी तक भरे गए पदों की संख्या से संबंधित वर्तमान स्थिति निम्न अनुसार है :

तालिका (1)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्थानांतरित पदों की संख्या	सृजित किए गए अतिरिक्त पदों की संख्या	कुल स्वीकृत सामर्थ्य	भरे गए कुल पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	1	1	2	2
2.	निदेशक/उप सचिव	1	1	2	2
3.	वैज्ञानिक 'ई'	0	1	1	0
4.	अवर सचिव	1	1	2	3
5.	वैज्ञानिक 'सी'	0	2	2	0
6.	अनुभाग अधिकारी	1	2	3	2
7.	सहायक	1	4	5	4
8.	निजी सचिव/आशुलिपिक	0	4	4	5
9.	उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी)	0	0	0	1
10.	निम्न श्रेणी लिपिक	1	0	1	0
	योग	**6**	**16**	**22**	**19**

2.2 पदों को भरे जाने की स्थिति निम्न प्रकार है :

1. **वैज्ञानिक** : वैज्ञानिक 'ई' और वैज्ञानिक 'सी' के पदों को केवल इन पदों से जुड़े भर्ती नियमों (आरआर) के अनुमोदन एवं अनुज्ञापन के बाद भरा जा सकता है। डीओपीटी के द्वारा अनुमोदित आरआर संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिए संदर्भित किया गया है।

2. **सचिवीय पद** : स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए काडर वियामक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है और इसलिए अधिकारियों/कर्मचारियों की वास्तविक नियुक्ति सर्वप्रथम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को की जाती है तथा उसके बाद नियुक्ति स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को की जाती है। वर्श 2013–14 में चलाई गई सभी पांच योजनाओं के प्रभाावी क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एवं क्रियान्वयन इकाइयों (पीएमआईयू) की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के

अवस्थापना मामलों को बजट, नकदी, राजभाशा मामलों, पीएओ आदि जैसी अन्य सहायक क्रियाओं के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है।

3. **अतिरिक्त पद** : अतिरिक्त पदों के सृजन द्वारा वर्तमान सामर्थ्य में वृद्धि के लिए उचित कदम भी उठाए गए हैं।

4. **शिकायत समाधान तंत्र** : डीएचआर में शिकायत समाधान तंत्र मौजूद है जिसके नोडल अधिकारी उप सचिव – डीएचआर हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, विभाग के किसी भी अधिकारी–कर्मचारी की ओर से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

5. **कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की रोकथाम के लिए इसकी शिकायत की व्यवस्था और इसके लिए समिति की स्थापना:** डीएचआर के कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण को रोकने के लिए विभाग ने शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। इससे संबंधित तंत्र में 4 सदस्यों वाली एक समिति का गठन हुआ है। वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

6. **ई–गवर्नेंस की पहल** : आईसीटी समर्थित ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य अनुसंधान विभान ने कुछ गतिविधियों को डिजिटाइज़ करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं :

– डीएचआर ने ई–गवर्नेंस नीति के शीघ्र क्रियान्वयन को सहुलियत प्रदान करने के लिए एनआईसी और लीज्ड लाइन परिपथों के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) कनेक्टिविटी को स्थापित किया।

– 5 नवीन आरंभ की गई योजनाओं के संबंध में इनकी भौतिक एवं नित्य निगरानी हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयरों के विकास के लिए कार्यवाही की गई।

– अंतरकार्य क्षेत्र संमिलन हेतु सहायक अनुदान योजना तथा स्वास्थ्य अनुसंधान पर प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के समन्वयन की ऑन लाइन निगरानी के लिए मॉड्यूल को पहले से ही विकसित कर क्रियाशील बना दिया गया है। जीआईए योजना और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बहुशाखीय अनुसंधान ईकाइयों (एमआरयू) की स्थापना के अंतर्गत शोध प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने के लिए पोर्टल में उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जीआइजीडब्ल्यू) की सभी आवश्कताओं को पूरा करते हुए अतिरिक्त विशेषताओं के साथ विभाग के वेबसाइट को दुबारा डिजाइन किया जा रहा है।

– विभाग ने आधार केंद्रित बायोमैट्रिक तंत्र (बीएएस) को क्रियान्वयन कर दिया है जिसके अंतर्गत डिजिटल डिवाइसों पर सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

धनराशि (फाइनेन्स):

(I) आवंटन :

2.3 विभाग के लिए 12वीं योजना के लिए अनुमोदित व्यय रुपए 10029 करोड़ है। रू. 10029 करोड़ के अनुमोदित आवंटन में से रू. 5259 करोड़ स्वास्थ्य अनुसंधान की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए और रू. 4770 करोड़ की राशि आईसीएमआर की अनेक गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अलग निर्धारित किया गया है। योजनावार आवंटन निम्न प्रकार है :

तालिका (2)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाएं	12वीं योजना के खर्च (2012–17)	ईएफसी/सीसीईए के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत	बजट संबंधी आवंटन अर्थात् 2012–13 से 2016–17 के लिए आरई
1.	डीएचआर की एचआरडी योजनाएं	812.00	597.00	36.02
2.	राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एमआरयू	1118.00	503.83	124.25
3.	राज्यों में एमआरएचआरयू	246.00	67.66	39.60
4.	महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना	1084.00	646.00	159.36
5.	डीएचआर की अनुदान सहायता योजना (ग्रांट–इन–ऐड) योजनाएं	1953.00	1242.00	69.65
6.	आईसीएमआर	4770.00	4770.00	2869.74
7	भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी)			40.00
8	शासन एवं विभागीय खर्चे	46.00	46.00	5.98
	योग	**10029.00**	**7872.49**	**3344.60**

(i) व्यय :

2.4 परियोजना और गैर योजना मदों के अंतर्गत अलग–अलग वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) के दौरान विभाग द्वारा किए गए वास्तविक व्यय निम्न अनुसार है :

तालिका (3)

(रू. करोड़ में)

विवरण	2015-16			2016-17		
	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक (दिसम्बर 2016 तक)
डीएचआर	145.00	110.86	102.16	100.00	100.00	76.22
आईसीएमआर	568.17	556.74	545.66	610.00	810.00	430.65
बीएमएचआरसी				40.00	40.00	21.61
योग	**713.17**	**667.60**	**647.82**	**750.00**	**950.00**	**528.48**

गैर–योजना से पृथक

(रू. करोड़ में)

विवरण	2015-16			2016-17		
	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक (दिसम्बर 2016 तक)
डीएचआर	10.00	8.00	7.26	10.80	10.80	5.38
आईसीएमआर	295.00	337.00	337.00	284.00	284.00	200.25
बीएमएचआरसी				100.00	100.00	78.55
योग	**305.00**	**345.00**	**344.26**	**394.80**	**394.80**	**284.18**

2.5 बीई/आरई (2016–17) और दिसंबर 2016 तक वास्तविक व्यय तथा बीई (2017–18) को दर्शाता हुआ एक विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन :

2.6 योजनाओं के भौतिक, वित्तीय एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन निगरानी और मूल्यांकन के लिए योजनाओं की संरचना के अंतर्गत एक शसक्त तथा प्रभावशाली प्रक्रिया उपलब्ध करायी गई है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत निष्कर्षों एवं वांछित उपलब्धियों के संदर्भ में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से जुड़ी अवधिक निगरानी के लिए आवश्यकतानुसार प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक सहयोगी कर्मचारियों के साथ डीएचआर और आईसीएमआर में परियोजना प्रबंधन एवं क्रियान्वयन इकाइयों (पीएमआईयू) की स्थापना की गई।

2.7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बहुविषयी अनुसंधान इकाइयों, राज्यों में मॉडल ग्रामीण अनुसंधान इकाइयों तथा विषाणुशोध व डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) नामक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति से जुड़ी स्थलीय समीक्षा के लिए समूहों को स्थलीय दौरों हेतु स्थापित किया गया है। ये समूह संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन तथा सुझाव भी देते हैं।

2.8 योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा हेतु राज्य स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधियों चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों/नोडल अधिकारियों, विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों आदि जैसे साझीदारों से समय–समय पर सचिव, डीएचआर द्वारा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2.9 सभी पांच योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन भौतिक एवं वित्तीय निगरानी के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर को विकसत करने के लिए भी कार्ययोजना शुरू की गई है।

लेखा परीक्षा अवलोकन :

2.10 इस वर्श के दौरान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) से संबंधित कोई लेखा परीक्षा अनुच्छेद नहीं था।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) की योजनाएं

अध्याय 3 महामारियों एवं प्राक्रतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं का नेटवर्क

3.1 देश की अधिकांश हिस्सों में विषाणुजनित रोगों की पहचान कर पाना एक बड़ी समस्या होती है और नए विषाणुकारकों (प्रजातियों) का प्रकोप एक आम घटना है। देश में विशिष्ट प्रयोगशालाओं विशेषकर द्वितीयक और तृतीयक स्तरों, की अप्रयाप्तता को पूर्व में देखा गया हैं और साथ ही साथ एच1एन1 के प्रकोप के दौरान, जब इस रोग से समूचा राष्ट्र जूझ रहा था। मानवजनित आपदाओं के लिए जैविक हथियारों के इस्तेमाल के संदर्भ में, साथ ही साथ नए विषाणुकारकों के प्रकोपों में विषाणु रोग पहचान हेतु प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना आवश्यक हो जाती है। देश में महामारी को जन्म देने वाली विभिन्न विषाणुजनित संक्रमणों में हस्तक्षेप के लिए प्रमाण एकत्र करने की दिशा में इस तरह के नेटवर्क और सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रमों की जरूरत है। इस उद्देश्य की दिशा में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल (एनसीडीसी) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑर वायरोलॉजी (एनआईवी) क्रमशः रोग निगरानी तथा अनुसंधान के संबंध में शीर्ष प्रयोगशाओं के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के साथ देशभर में प्रयोगशालओं के एक नेटवर्क का गठन अति आवश्यक समझा जाने लगा है। ये प्रयोगशालाएं एनसीडीसी दिल्ली द्वारा संयोजित इंटिग्रेटड डिजीज़ सिर्विलांस प्रोजेक्ट (आईडीएसपी) की गतिविधियों को परिपूर्ण करते हुए और विषाणुओं पर विशेष ध्यान रखते हुए निम्न सामान्य विषाणुओं से निपटने में मदद करेंगी:

1. श्वसन मार्ग द्वारा संचरित विषाणु : खसरा, रोबेला, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, विषाणु (ए,बी और सी), पैरा–इन्फ्लुएंजा विषाणु, एडीनोवाइरस, रेस्पाइरेटरी सिंसिटिअल विषाणु, राइनोवाइरस, पोलियो, कोरोनावाइरस।

2. आंत मार्ग द्वारा संचरित विषाणु : हेपिटाइटिस ए, ई, रोटावाइरस, एस्ट्रोवाइरस, केल्सिवाइरस, नॉरवाक वाइरस, एन्टीरोवाइरस।

3. वाहक जनित रोग विषाणु : डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल, क्यासानुर फारेस्ट रोग, चांदीपुरा।

4. जंतुजनित विषाणु : रेबीज़, निपाह वाइरस, हन्टा वाइरस।

5. शारीरिक द्रव्यों द्वारा संचरित होने वाले विषाणु : एचआईवी, हेपिटाइटिस–बी और सी।

3.2 खसरा, इन्फ्लुएंजा विषाणु (ए, बी एवं सी), रेस्पाइरेटरी सींसीटीएल विषाणु, पोलियो, हेपिटाइटिस ए ई, रोटावाइरस, एन्टीरोवाइरस, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई आदि जैसे अहम रोगों के प्रकोपों के लिए जिम्मेदार विषाणु की रोग पहचान हेतु बुनियादी ढांचा तथा विशेषज्ञता विकसित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रयोगशालाओं से उनके भौगालिक क्षेत्रों में विशिष्ट विषाणुओं की रोग पहचान के लिए विशेषज्ञता विकसित करने की दिशा में अपेक्षा की जाएगी।

3.3 प्रकोपों और महामारी विषाणु संक्रमणों के बाद बायरोलॉजी डाइग्नोस्टिक सुविधाओं के लिए उभरती स्थिति एवं तात्कालिक आवश्यकताओं से निपटने की दिशा में आईसीएमआर ने वर्ष 2009–10 में तदर्थ एक्स्ट्राम्यूरल मोड में एक वायरोलॉजी डायग्नास्टिक प्रयोगशाला (वीडीएल) नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। इसके अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि के लिए इस दिशा में बुनियादी ढांचा विकसित करने और वीडीएल को संचालित करने के लिए आईसीएमआर द्वारा अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके उपरांत, राज्य सरकार/स्वास्थ्य प्राधिकरणों से परियोजना अवधि के अंत में सुविधा (इसकी प्रशिक्षित मानव शक्ति सहित) और रखरखाव को अधिग्रहण करने की अपेक्षा थी।

आईसीएमआर प्रणाली के अंतर्गत चल रही प्रयोगशालाएं

नीचे दी गई तालिका (4) में दिए विवरण के अनुसार आईसीएमआर के अंतर्गत तीन ग्रेड – 1 प्रयोगशालाएं और तीन ग्रेड–2 प्रयोगशालाएं हैं : तालिका (4)

तालिका (4)

क्र.सं.	केंद्र का नाम	ग्रेड	प्रयोगशाला के आरंभ किए जाने की तिथि
1.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर	I	मार्च 2010
2.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर	I	मार्च 2010
3.	कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मनिपाल	I	मार्च 2010
4.	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना	II	दिसंबर 2011
5.	जनजातियों हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जबलपुर	II	दिसंबर 2011
6.	आंध्र चिकित्सा महाविद्यालय, विशाखापत्तनम	II	दिसंबर 2011

डीएचआर योजना के अंतर्गत विषाणु अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला (वीआरडीएल) के एक नेटवर्क की स्थापना :

3.6 विषाणुओं के लिए मूलभूत डायग्नोस्टिक तकनीकों के साथ अधिकांश वीआरडीएल अब सुस्थापित हैं। और वे अपने संबंधित केंद्रों द्वारा आंकड़ों का निर्माण कर रहे हैं। समूचे राष्ट्र के आंकड़े एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय प्रासंगिकता के विषाणुओं के संबंध में सुनियोजित रोग नैदानिक अध्ययनों के अंतर्गत डीएचआर द्वारा समस्त वीआरडीएल को सम्मिलित किया है। सभी प्रयोगशालाओं के द्वारा एक समान प्रोटोकॉल/एसओपी/प्रशिक्षण/गुणवत्ता निर्धारण/गुणवत्ता नियंत्रण विधियों को अपनाया जाएगा।

3.7 जब कि आईसीएमआर ने यह कार्यक्रम एक शोध परियोजना प्रकल्प के रूप में शुरू की थी और इसके केंद्रों ने व्यापक तौर पर सहायता प्रदान की है, **स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग** ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र देश को आच्छादित करने के उद्देश्य से एक नई योजना का निर्माण किया है। यह योजना वर्ष 2013–14 में लाई गई थी और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए थे – तीन स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना – 10 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, 30 राज्य स्तर की प्रयोगशालाएं और 12वीं योजना अवधि के दौरान विषाणुजनित महामारियों तथा नए विषाणु संक्रमणों की समयबद्ध रोग पहचान एवं प्रबंधन हेतु राज्यों के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 120 चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशालाएं स्थापित की जायें। इसमें अनुमानित लागत रू. 646.83 करोड़ है। प्रयोगशालाएं स्थापित करने के दौरान इन प्रयोगशालाओं के भौगोलिक विस्तार को संज्ञान में लिया जाएगा और नजदीकी राज्यों/क्षेत्रों से उन स्थानों को जोड़ा जाएगा जहां कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है।

उद्देश्य :

– जन स्वास्थ्य स्तर पर रुग्णता उत्पन्न करने वाले अहम् विशाणुओं एवं अन्य कारकों और महामारी एवं/या जैव आतंकवाद हेतु समर्थ कारकों को जन्म देने वाले विशिष्ट कारकों की समयबद्ध पहचान के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

– नए एवं अज्ञात विषाणुओं और अन्य जीवों/उभरते/पुनः उभरते विषाणु नस्लों की पहचान करने तथा नैदानिक किटों का विकास करने की दिशा में क्षमता निर्माण करना।

– स्वास्थ्य पेशेवरों (कर्मियों) को प्रशिक्षण प्रदान करना।

–उभरते हुए और नए अनुवांशिक रूप से सक्रिय/रूपांतरित कारकों की पहचान के लिए अनुसंधान किया जाना।

अनुदान दिए जाने के संबंध में मानक :

क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं : बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशाला में आई अनावर्ती (नॉन रिकारिंग) लागत लगभग रू. 15.00 करोड़ आती है। इसमें सिविल कार्य (रू. 4.20 करोड़), फर्निशिग और फर्नीचर (रू. 50 लाख) और उपकरण (रू. 10.25 करोड़) सम्मिलित होते हैं। प्रति वर्ष क्षेत्रीय प्रयोगशाला पर आवर्ती लागत रू. 81 लाख होती है, जिसमें से कर्मचारियों पर रू. 46 लाख, उपभोगीय, आकस्मिक व्यय और प्रशिक्षण पर रू. 35 लाख होते हैं।

राज्य स्तर की प्रयोगशालाएं : लगभग रू. 3.9275 करोड़ में से सिविल /नवीकरण/ संशोधन कार्यों के मद में रू. 50 लाख और उपकरणों के लिए रू. 3.4275 करोड़ व्यय होते हैं। इनके अलावा, संविदा आधार पर प्रशिक्षित तकनीकी मानव शक्ति को काम पर लगाने के लिए और प्रशिक्षण, उपभोगीय

तथा आकस्मिक व्यय के मद में लगभग रू. 50 लाख प्रति प्रयोगशाला का आवर्ती व्यय आता है।

चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशालाएं : इसमें लगभग रू. 1.7390 करोड़ की लागत आती है जिसमें शामिल हैं उपकरण और सिविल कार्य/भवन के पुनर्निर्माण के लिए रू. 1.4390 करोड़ तथा कर्मचारियों, उपभोगीय, आकस्मिक व्यय एवं प्रशिक्षण जैसे खर्चों पर प्रति वर्श रू. 30 लाख का व्यय।

राज्यों से आवश्यकताएं :

विषाणु अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला (वीआरडीएल) की स्थापना हेतु एक चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान के परिसरों पर एक भवन का आवंटन या राज्य स्तर की प्रयोगशाला हेतु समान रूप से स्वीकृत परिमाण (लगभग 250–300 वर्ग मीटर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला या चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशाला के लिए लगभग 200–300 वर्ग मीटर) वाला स्थान वीआरडएल की स्थापना के निमित निःशुल्क प्रदान किया जाना।

– डीएचआर के साथ समझौता ज्ञापन अर्थात् मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर करना।

– वीआरडीएल में कार्य करने वाले कर्मियों की आपसी सहमति वाली संख्या की प्रतिनियुक्ति करना।

– वीआरडीएल में प्रशिक्षण करने या कार्यशालाओं में प्रतिभागिता करने के लिए कर्मिकों (राज्य स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कर्मिकों सहित) की प्रतिनियुक्ति करना।

– राज्य स्तर और चिकित्सा महाविद्यालयों के स्तर की प्रयोगशालाओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 (उत्तर पूर्वी, पहाड़ी राज्यों, सिक्किम एवं जम्मू कश्मीर के संबंध में 90:10) के अनुपात में प्रयोगशालाओं की स्थापना पर व्यय को साझा करना। सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि/भवन की लागत इसके योगदान की दिशा में योगदान माना जायेगा।

क्रियान्वयन की स्थिति :

वर्ष 2016–17 (30 दिसंबर, 2016 तक) के दौरान 19 विषाणु अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं (1 राज्य स्तर की प्रयोगशाला और 18 चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशालाओं) का अनुमोदन किया गया था। उपरोक्त समावेश के साथ समेकित व्याप्ति 82 वीआरडीएल (5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला, 15 राज्य स्तर प्रयोगशाला और 62 विकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशाला) तक पहुंच गई हैं।

– दिसंबर 2016 की अवधि तक 65 वीआरडीएल (5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला, 15 राज्य स्तर प्रयोगशाला और 45 चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशाला) के सापेक्ष अनुदान जारी किए गए हैं।

– वर्श 2016–17 के दौरान की योजना के अंतर्गत बीई/आरई प्रावधान के सापेक्ष रू. 39.25 करोड़ की राशि जारी की गई। दिसंबर 2016 तक का व्यय रू. 33.93 करोड़ है।

– दिसंबर 2016 तक स्वीकृत वीआरडीएल की सूची निम्न तालिका (5) में दी गई है।

तलिका (5)

आज की तिथि तक डीएचआर से अनुदान प्राप्त वीआरडीएलएस्

क्षेत्रीय वीआरडीएलएस् :

1. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
2. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, डिब्रूगढ़, 2013–14 में अनुदान प्राप्त ।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश, 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
4. आईसीएमआर विषाणु इकाई, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज़, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
5. जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी 2014–15 एवं 2015–16 में अनुदान प्राप्त।

राज्य स्तरीय वीआरडीएलस् :

1. बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
2. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
3. शेर–ए–कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
4. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
5. बंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलुरु, कर्नाटक 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
6. गुवाहटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
7. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
8. केजीएमयू, लखनऊ 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
9. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
10. एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
11. गांधी मेडिकल कॉलेज, तेलंगाना 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
12. आरआईएमएस, इंफाल, 2016–17।
13. केआईपीएम एंड आर, चेन्नई 2016–17।
14. कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज, 2016–17 **(जारी प्रक्रिया के अंतिम चरण के अधीन)।**
15. बीएचयू, वाराणसी, 2016–17 **(जारी प्रक्रिया के अंतिम चरण के अधीन)।**

चिकित्सा महाविद्यालय स्तर के वीआरडीएलस् :

1. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
2. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
3. पटना मेडिकल कॉलेज, पटना 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
4. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
5. पंडित बी डी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रोहतक 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
6. एम.पी. शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जामनगर 2013–14 में अनुदान प्राप्त।
7. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, थेनी, तमिलनाडु 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
8. एलएसबीके मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ 2014–15 में अनुदान प्राप्त।

9. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैसूर, कर्नाटक 2014–15 में अनुदान प्राप्त ।
10. मदुरै मेडिकल कॉलेज, मदुरै, तमिलनाडु 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
11. श्री वेंकटेश्वर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
12. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा, हिमाचल प्रदेश, 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
13. सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, गुनाडाला, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
14. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पटियाला, पंजाब 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
15. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
16. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम, केरल 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
17. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान 2014–15 एवं 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
18. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतला 2014–15 एवं 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
19. जेएनआईएमएस, इंफाल, मणिपुर 2014–15 में अनुदान प्राप्त।
20. उत्तर प्रदेश रूरल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, सैफई, इटावा, उ.प्र. 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
21. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हलद्वानी, उत्तराखंड 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
22. जेएनएमसी, अलीगढ़ 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
23. आईपीजीएमईआर, कोलकाता 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
24. बीपीएस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, सोनीपत 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
25. आरआईएमएस, कडप्पा 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
26. जीएमसी, अनंतपुर 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
27. एचआईएमएस, हसन 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
28. जोरहट मेडिकल कॉलेज, जोरहट 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
29. तेजपुर मेडिकल कॉलेज, तेजपुर 2015–16 में अनुदान प्राप्त।
30. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
31. झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
32. मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
33. गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज, सालेम 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
34. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुडुचेरी 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
35. गुलबर्ग इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुलबर्ग, कर्नाटक 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
36. मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
37. शिमोगा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शिमोगा, कर्नाटक 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
38. वीआईएमएस, बेल्लारी, 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
39. एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
40. आरआईएमएस, रांची 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
41. जीएमसी त्रिसूर 2016–17 में अनुदान प्राप्त।

42. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
43. एसपीएमसी, बीकानेर 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
44. तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली 2016–17 में अनुदान प्राप्त।
45. नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, दार्जिलिंग 2016–17 में अनुदान प्राप्त।

वीआरडीएल की सूची, जो डीएचआर से अनुमोदित है परंतु वांछित कोडल ऑपचारिकताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण अभी तक इन्हें अनुदान नहीं दिया गया है :

2013 - 2014

क्र.सं.	वीआरडीएल के नाम	वीआरडीएल का स्तर
1.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा	एमसीएल*
2.	जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर	एमसीएल

2014 - 2015

क्र.सं.	वीआरडीएल के नाम	वीआरडीएल का स्तर
3.	सिलचर मेडिकल कॉलेज, सिलचर	एमसीएल
4.	काकतिया मेडिकल कॉलेज, निजामपुरा, वारांगल	एमसीएल
5.	आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, कोलकाता	एमसीएल
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	एमसीएल
7.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मिराज, सांगली, महाराश्ट्र	एमसीएल
8.	दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा	एमसीएल
9.	एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, इंदौर	एमसीएल
10.	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बिहार	एमसीएल

2015 - 2016

क्र.सं.	वीआरडीएल के नाम	वीआरडीएल का स्तर
11.	रंगाराया मेडिकल कॉलेज, काकिनाडा	एमसीएल
12.	फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, बारपेटा	एमसीएल
13.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा	एमसीएल
14.	वर्धमान मेडिकल कॉलेज, वर्धमान	एमसीएल
15.	गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	एमसीएल
16.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	एमसीएल
17.	मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, मालदा, पश्चिम बंगाल	एमसीएल

*एम सी एल= चिकित्सा महाविद्यालय स्तर की प्रयोगशाला

31 दिसंबर 2016 तक क्रियात्मक हुई विषाणु अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं (वीआरडीएलएस)

क्रियात्मक वीआरडीएलएस्

क्षेत्रीय स्तर के वीआरडीएलएस्:

1. आरएमआरसी, डिब्रूगढ़, असम
2. एम्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
3. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
4. एनआईसीईडी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

राज्य स्तर के वीआरडीएलएस्:

5. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, असम।
6. आईजीएमसी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
7. एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग, मेघालय ।
8. शेर–ए–कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर।
9. बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलुरु, कर्नाटक।
10. बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात।
11. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान।
12. केजीएमयू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा महाविद्यालय स्तर के वीडीआरएलएस्:

13. पटना मेडिकल कॉलेज, पटना, बिहार।
14. मदुरै मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु।
15. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, थेनी, तमिलनाडु।
16. आईजीजीएमसी, नागपुर, महाराष्ट्र।
17. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतला, त्रिपुरा।
18. उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना।
19. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर।
20. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर, पंजाब।
21. श्री वेंकटेश्वर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।
22. स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
23. पंडित बी डी शर्मा पीजीआईएमएस, रोहतक, हरियाणा।
24. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा, हिमाचल प्रदेश।
25. गवर्नमेंट सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।
26. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम।
27. जवाहरलाल नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंफाल।
28. यूपीआरआईएमएस, सैफई, उत्तर प्रदेश।
29. झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़, राजस्थान।

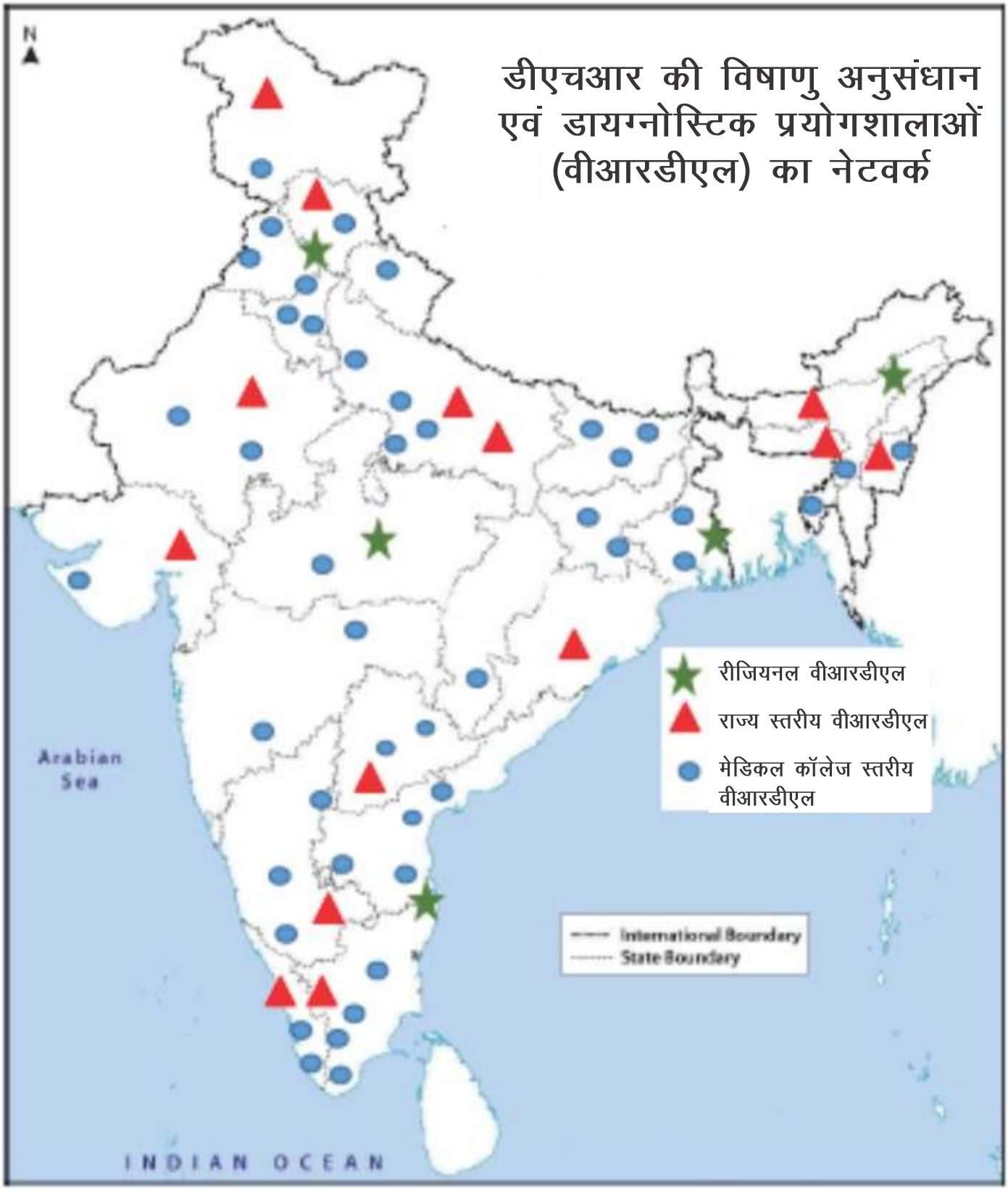

Click on the symbol (★ , ▲ , ●) to know the details of VRDLs

अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिपुरा में डीएचआर की विषाणु अनुसंधान एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला